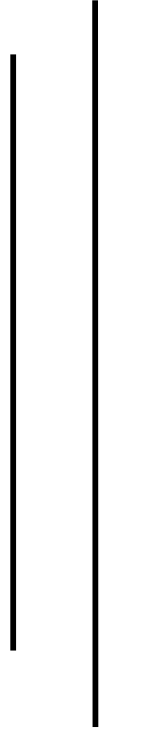




झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग
कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची-834010
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

विवरणिका



विज्ञापन संख्या-07 / 2022

झारखण्ड इण्टरमीडिएट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण
अहर्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2022 (नियमित भर्ती)

JIS(CKHT)CCE-2022 (Regular vacancy)

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-8616, दिनांक-18.12.2021 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक (कार्यालय सहायक-सह-लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर), निम्नवर्गीय लिपिक (कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर), स्टनोग्राफर/निजी सहायक, पत्रांक-8653, दिनांक-21.12.2021 द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत लिपिक, पत्रांक-266, दिनांक-20.01.2022 द्वारा श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक, पत्रांक-1913, दिनांक-24.03.2022 द्वारा वाणिज्य कर विभाग अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक, पत्रांक-2107, दिनांक-31.03.2022 द्वारा श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन पक्ष) अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक, पत्रांक-2639, दिनांक-25.04.2022 द्वारा श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यालयों/ अस्पताल/ चिकित्सालयों में निम्नवर्गीय लिपिक, पत्रांक-2702, दिनांक-27.04.2022 द्वारा परिवहन विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक तथा पत्रांक-2709, दिनांक-27.04.2022 द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग (खान निदेशालय) के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में "झारखण्ड इण्टरमीडिएट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2022 (नियमित भर्ती)" के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगईन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है।

2. परीक्षा शुल्क:-

(क) परीक्षा शुल्क रु. 100/- (एक सौ रुपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूट:- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रु. 50/- (पचास रुपये) है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-8559, दिनांक-23.10.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

(ख) आरक्षित वर्ग की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या-08/2022 प्रकाशित किया गया है, जिसमें कुल रिक्ति 05 है। विज्ञापन सं. 07/2022 एवं 08/2022 दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑनलाईन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापन के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा शुल्क ही देना होगा। दोनों विज्ञापन के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जायेगी।

3. रिक्तियों का विवरण :-

क्र. सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	कुल	पदों की संख्या					
				कुल रिक्ति के अधीन शैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अधापन और कम दृष्टि	बहुरापन एवं श्रवण निःशक्ता	चलन निःशक्ता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्ता एवं बहुर निःशक्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	निम्नवर्गीय लिपिक (कार्यालय सहायक-सह-लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर), नगर विकास एवं आवास विभाग	1. अनारक्षित	39	02	02	01	01	01	01
		2. अनुसूचित जनजाति	25	01					
		3. अनुसूचित जाति	10	01					
		4. अ. पि. व. (अनु-I)	07	00					
		5. पिछड़ा वर्ग (अनु-II)	06	00					
		6. आ. क. व.	09	01					
		योग :-	96	05	02	01	01	01	01
2.	निम्नवर्गीय लिपिक (कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर), नगर विकास एवं आवास विभाग	1. अनारक्षित	110	06	05	03	03	03	02
		2. अनुसूचित जनजाति	64 (01 पद आ. ज. ज. के लिए शैतिज रूप में आरक्षित)	03					
		3. अनुसूचित जाति	24	01					
		4. अ. पि. व. (अनु-I)	17	01					
		5. पिछड़ा वर्ग (अनु-II)	16	01					
		6. आ. क. व.	25	01					
		योग :-	256	13	05	03	03	03	02
3.	स्टेनोग्राफर/निजी सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग	1. अनारक्षित	12	01	01	01	01	00	00
		2. अनुसूचित जनजाति	07	01					
		3. अनुसूचित जाति	03	00					
		4. अ. पि. व. (अनु-I)	02	00					
		5. पिछड़ा वर्ग (अनु-II)	01	00					
		6. आ. क. व.	02	00					
		योग :-	27	02	01	01	01	00	00

क्र. सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	कुल	पदों की संख्या					
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहुरापन एवं श्रवण निःशक्ता	चलन निःशक्ता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्ता एवं बहु निःशक्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	लिपिक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1. अनारक्षित	42	02	02	01	01	01	01
		2. अनुसूचित जनजाति	27	01					
		3. अनुसूचित जाति	10	01					
		4. अ. पि. व. (अनु-I)	09	00					
		5. पिछड़ा वर्ग (अनु-II)	06	00					
		6. आ. क. व.	10	01					
		योग :-	104	05	02	01	01	01	01
5.	निम्नवर्गीय लिपिक, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)	1. अनारक्षित	57	03	03	02	02	01	01
		2. अनुसूचित जनजाति	38 (01 पद पद आ. ज. ज. के लिए क्षैतिज रूप में आरक्षित)	02					
		3. अनुसूचित जाति	14	01					
		4. अ. पि. व. (अनु-I)	11	01					
		5. पिछड़ा वर्ग (अनु-II)	09	00					
		6. आ. क. व.	15	01					
		योग :-	144	08	03	02	02	01	01
6.	निम्नवर्गीय लिपिक, वाणिज्य-कर विभाग	1. अनारक्षित	45	02	02	01	01	01	02
		2. अनुसूचित जनजाति	26	01					
		3. अनुसूचित जाति	09	00					
		4. अ. पि. व. (अनु-I)	05	00					
		5. पिछड़ा वर्ग (अनु-II)	03	00					
		6. आ. क. व.	09	00					
		योग :-	97	03	02	01	01	01	02
7.	निम्नवर्गीय लिपिक, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग (नियोजन पक्ष)	1. अनारक्षित	31	02	02	01	01	01	00
		2. अनुसूचित जनजाति	20	01					
		3. अनुसूचित जाति	08	00					
		4. अ. पि. व. (अनु-I)	06	00					
		5. पिछड़ा वर्ग (अनु-II)	04	00					
		6. आ. क. व.	08	00					
		योग :-	77	03	02	01	01	01	00
8.	निम्नवर्गीय लिपिक, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यालय/ अस्पताल/ चिकित्सालय	1. अनारक्षित	15	01	01	01	00	00	00
		2. अनुसूचित जनजाति	09	00					
		3. अनुसूचित जाति	04	00					
		4. अ. पि. व. (अनु-I)	03	00					
		5. पिछड़ा वर्ग (अनु-II)	02	00					
		6. आ. क. व.	03	00					
		योग :-	36	01	01	01	00	00	00

क्र. सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	कुल	पदों की संख्या					
				कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण					
				महिला	खेलकूद कोटा	अंधापन और कम दृष्टि	बहुरापन एवं श्रवण निःशक्ता	चलन निःशक्ता या सेरेब्रल पाल्सी	स्वलीनता, बौद्धिक निःशक्ता एवं बहु निःशक्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	निम्नवर्गीय लिपिक, परिवहन विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय	1. अनारक्षित	39	02	02	01	01	01	01
		2. अनुसूचित जनजाति	27 (01 पद पद आ. ज. ज. के लिए क्षैतिज रूप में आरक्षित)	02					
		3. अनुसूचित जाति	10	00					
		4. अ. पि. व. (अनु-I)	09	00					
		5. पिछड़ा वर्ग (अनु-II)	06	00					
		6. आ. क. व.	13	01					
		योग :-	104	05	02	01	01	01	01
10.	निम्नवर्गीय लिपिक, खान एवं भूतत्व विभाग (खान निदेशालय)	1. अनारक्षित	22	01	01	01	01	00	00
		2. अनुसूचित जनजाति	14	01					
		3. अनुसूचित जाति	04	00					
		4. अ. पि. व. (अनु-I)	01	00					
		5. पिछड़ा वर्ग (अनु-II)	00	00					
		6. आ. क. व.	04	00					
		योग :-	45	02	01	01	01	00	00

- कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग से अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है।

- परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें की वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों के पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।
- कंडिका- 3 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:-

क्र. सं.	पदनाम एवं वर्गीकरण	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कौशल परीक्षण
1	2	3	4	5
1.	स्टनोग्राफर/निजी सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, (समूह- 'ग' अराजपत्रित)	पे मैट्रिक्स लेवल-4, 25500 - 81100/-		आशुलिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी टाईपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति।

क्र. सं.	पदनाम एवं वर्गीकरण	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कौशल परीक्षण
1	2	3	4	5
2.	निम्नवर्गीय लिपिक (कार्यालय सहायक-सह-लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर), नगर विकास एवं आवास विभाग (समूह-‘ग’ अराजपत्रित)	पे मैट्रिक्स लेवल-2, 19900 – 63200 / –	किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय / संस्थान से इण्टरमीडिएट / 10+2।	हिन्दी में 25 (पचीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 250 (दो सौ पचास) शब्दों को दस मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% (दो प्रतिशत) से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिये जायेंगे।
3.	निम्नवर्गीय लिपिक (कार्यालय सहायक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर), नगर विकास एवं आवास विभाग (समूह-‘ग’ अराजपत्रित)			
4.	लिपिक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (समूह-‘ग’ अराजपत्रित)			
5.	निम्नवर्गीय लिपिक, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग / निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) (समूह-‘ग’ अराजपत्रित)			
6.	निम्नवर्गीय लिपिक, वाणिज्य-कर विभाग, (समूह-‘ग’ अराजपत्रित)			
7.	निम्नवर्गीय लिपिक, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, (नियोजन पक्ष) (समूह-‘ग’ अराजपत्रित)			
8.	निम्नवर्गीय लिपिक, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यालय / अस्पताल / चिकित्सालय (समूह-‘ग’ अराजपत्रित)			
9.	निम्नवर्गीय लिपिक, परिवहन विभाग, (समूह-‘ग’ अराजपत्रित)			
10.	निम्नवर्गीय लिपिक, खान एवं भूतत्व विभाग (खान निदेशालय) (समूह-‘ग’ अराजपत्रित)			

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

- (i). अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तम्भ 04 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात् शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।
- (ii). उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।
- परन्तु यह है कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रावधान शिथिल रहेगा।
- (iii). कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी-‘ग’ के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

क्र. सं.	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
1.	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	द्वितीय/तृतीय स्थान
2.	झारखण्ड ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैम्पियनशीप।	प्रथम स्थान
3.	राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी	राष्ट्रीय रिकार्ड

नोट:- उपर्युक्त अंकित संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007 आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर उपलब्ध है।

6. आयु सीमा:—उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जायेगी :—

क्र. सं.	पदनाम	न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि	अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि
1	2	3	4
1.	निम्नवर्गीय लिपिक (कार्यालय सहायक—सह—लेखापाल, लेखा लिपिक एवं लेखापाल—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर), नगर विकास एवं आवास विभाग (समूह—‘ग’ अराजपत्रित)	01.08.2021	01.08.2021
2.	निम्नवर्गीय लिपिक (कार्यालय सहायक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक—सह—कम्प्यूटर ऑपरेटर), नगर विकास एवं आवास विभाग, (समूह—‘ग’ अराजपत्रित)		
3.	स्टनोग्राफर/निजी सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, (समूह—‘ग’ अराजपत्रित)		
4.	लिपिक, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, (समूह—‘ग’ अराजपत्रित)		
5.	निम्नवर्गीय लिपिक, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग विभाग / निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), (समूह—‘ग’ अराजपत्रित)	01.08.2022	01.08.2022
6.	निम्नवर्गीय लिपिक, वाणिज्य—कर विभाग, (समूह—‘ग’ अराजपत्रित)		
7.	निम्नवर्गीय लिपिक, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग, (नियोजन पक्ष), (समूह—‘ग’ अराजपत्रित)		
8.	निम्नवर्गीय लिपिक, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यालय / अस्पताल / चिकित्सालय, (समूह—‘ग’ अराजपत्रित)		
9.	निम्नवर्गीय लिपिक, परिवहन विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय, (समूह—‘ग’ अराजपत्रित)		
10.	निम्नवर्गीय लिपिक, खान एवं भूतत्व विभाग (खान निदेशालय) (समूह—‘ग’ अराजपत्रित)		

(क) न्यूनतम उम्र सीमा – 18 वर्ष

(ख) अधिकतम उम्र सीमा:— (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-609, दिनांक-25.01.2016 द्वारा यथा निर्धारित)

(i) अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग — 35 वर्ष।

(ii) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु.-1) एवं
पिछड़ा वर्ग (अनु.-2) [पुरुष] — 37 वर्ष।

(iii) महिला
[अनारक्षित, आ. क. व., अ. पि. व. (अनु.-1)
एवं पि. व. (अनु.-2)] — 38 वर्ष।

(iv) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला) — 40 वर्ष।

(ग) सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दस वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा गठित सक्षम चिकित्सा पंथ से विहित प्रपत्र (परिशिष्ट- IX) में निर्गत होना चाहिए। सभी श्रेणियों में निःशक्तों का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।

(i) विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र तथा सक्षम प्राधिकार से भिन्न प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की स्थिति में निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(घ) आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में आवेदन प्रपत्र में अंकित निःशक्तता संबंधी दावे के अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

(ङ) भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण-पत्र यथासमय आयोग द्वारा माँग की जायेगी जिसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) उम्र में छूट का लाभ उपरोक्त “ग” या “ङ” में कोई एक ही मान्य होगा।

7. निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा :

निःशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा। इस श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राईब की सुविधा निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी

- (i) 40% (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा देय है।
- (ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात् PH मुद्रित हो।
- (iii) निःशक्त अभ्यर्थी श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं अथवा उनके द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की मांग करने पर सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक द्वारा यह सुविधा अनुमान्य करायी जायेगी।
- (iv) निःशक्त अभ्यर्थी प्रवेश पत्र (Admit Card) में निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा प्रदान करने के लिए अपना आवेदन पत्र परीक्षा की तिथि से तीन दिनों पूर्व समर्पित करेंगे। यदि निःशक्त अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था की जाती है तो सम्बन्धित श्रुतलेखक/स्क्राइब के सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-X)** में दी जायेगी। सम्बन्धित अभ्यर्थी इस आवेदन के साथ निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्व-आभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न करेंगे।
- (v) यदि निःशक्त अभ्यर्थी श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करते हैं तो श्रुतलेखक/स्क्राइब से सम्बन्धित सूचना अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र में निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को **विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-X)** में परीक्षा की तिथि को परीक्षा प्रारम्भ होने के $1\frac{1}{2}$ घंटे पूर्व निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्व-आभिप्रमाणित प्रति के साथ देंगे।
- (vi) उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित अनुदेशों का पालन नहीं करने पर सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायगी, जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी ही उत्तरदायी होंगे।
- (vii) परीक्षा की तिथि को श्रुतलेखक/स्क्राइब के साथ अभ्यर्थी परीक्षा के $1\frac{1}{2}$ घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर निश्चित रूप से उपस्थित होंगे।

8. पात्रता:—

- I. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-3848, दिनांक-10.08.2021 के आलोक में अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इण्टरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इण्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रावधान शिथिल रहेगा।

- II. परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- III. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर विवरणिका की कंडिकाओं में विहित सभी शर्तों को पूरा करते हैं एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को एतद् संबंधी प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध है।

9. आरक्षण :

आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।

9. (I) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र –

- (क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक-02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VII पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-5752 दिनांक 19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात्

अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-VIII** पर धारित है।

- (ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ग) दिनांक-02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ङ) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (च) पिता/ पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

9. (II) जाति प्रमाण पत्र-

- (क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-I** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-III** पर धारित है।

- (ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक 29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-II** पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक

सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-V** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट-IV** पर धारित है।

- (ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी “आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र” प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र (**परिशिष्ट-VI**) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए।
- (घ) दिनांक 25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
- (ङ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (च) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग-2 (अनुसूची-2) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।
- (ज) शैक्षणिक कार्य/सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।
- (झ) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

- (ज) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-235, दिनांक-10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
- (ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग-2 (अनुसूची-2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (उपर्युक्त कंडिका-9(II) में उल्लेखित) से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्व घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिवित्त तक अनुमान्यता के सपेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क आयोग के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।

नोट:-

- (I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट-I से परिशिष्ट- VIII, पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में कंडिका-9(II) (ख) में अंकित गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर आयोग द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (III) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित आवेदक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्तनी (Spelling) मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्तनी (Spelling) से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

- (IV) आवेदक उपर्युक्त विहित प्रपत्रों में सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग आयोग आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है।
- (V) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

10. ऑनलाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:

- (i) आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।
 - (क) विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक हैं वह उनके पास उपलब्ध हैं।
 - (ख) आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं हस्ताक्षर की Scanned प्रति भी अपने साथ रखें।
 - (ग) सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही है अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।
- (ii) आवेदक अपने नाम की वर्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्तनी (Spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।
- (iii) आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा— तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

11. Online आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित (Submit) करना : ऑनलाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें।

- i) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं Online Application for JIS(CKHT)CCE-2022 को Click करें तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें।
- ii) पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल एवं ई-मेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होगी। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगईन करने के लिए इनकी आवश्यकता होगी।
- iii) पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉग-ईन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना प्रविष्ट करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को Save and Continue करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12:00 बजे मध्याह्न के पश्चात् पुनः लॉगईन कर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें।
- iv) परीक्षा शुल्क भुगतान के एक दिन बाद पुनः लॉगईन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन (Scanned) किया हुआ फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करें। यदि आप अपने अपलोड किये गये फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।
- v) आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व सुनिश्चित हो लें कि आवेदन में प्रविष्ट की गई जानकारियाँ सत्य हैं अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा।
- vi) ऑनलाईन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जाँच प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम में की जायेगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व निर्गत प्रमाण पत्रों से भिन्न प्रमाण पत्र देने पर इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति में आरक्षण/अन्य लाभ देय नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।

12. आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन:-

दिनांक-26.06.2022 से दिनांक-30.06.2022 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी

ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग-2 (अनुसूची-2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। साथ ही क्षैतिज आरक्षण अंतर्गत द्विव्यांग अभ्यर्थी द्वारा स्वयं को द्विव्यांग श्रेणी से अलग कर दिए जाने की अवस्था में भी उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अन्तर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध करायी जायेगी। संशोधन के उपरांत अंतर राशि शुल्क का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। संशोधन की तिथि के पश्चात् किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी।

13. आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ :- ऑनलाईन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियाँ निम्नवत् हैं:-

- क) रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक-20.05.2022 से दिनांक-19.06.2022 की मध्य रात्रि तक।
- ख) परीक्षा शुल्क भुगतान – दिनांक-22.06.2022 की मध्य रात्रि तक।
- ग) फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने – दिनांक-25.06.2022 की मध्य रात्रि तक।
- घ) दिनांक-26.06.2022 से दिनांक-30.06.2022 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जायेगी जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा।

14. परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया:-

परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए Submit To Proceed Payment Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term & Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद Select Payment category के सामने JIS(CKHT)CCE-2022 Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

15. पदों का विकल्प :-

अभ्यर्थियों को उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के अनुसार ऑनलाईन आवेदन में पदों को अधिमानता क्रम में विकल्प देना अनिवार्य होगा।

- 16. परीक्षा का स्वरूप :-** आयोग द्वारा ओ.एम.आर. आधारित परीक्षा ली जायेगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का Normalisation किया जायेगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के Normalised अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात् उन्हें Normalised अंक ही दिया जायेगा।

परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :-

परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :- परीक्षा एक चरण (मुख्य परीक्षा) में ली जायेगी।

परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे।

17. मुख्य परीक्षा :-

मुख्य परीक्षा के लिए तीन पत्र होंगे। यह परीक्षा तीन पालियों में ली जायेगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे:-

17.1 पत्र – 1 (भाषा ज्ञान) : कुल प्रश्न – 120, परीक्षा अवधि – 2 घंटा

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान – 60 प्रश्न

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान – 60 प्रश्न

भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंको को जोड़ कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

17.2 पत्र – 2

जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, कुल प्रश्न-100, परीक्षा अवधि- 2 घंटा

उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुड़ूख(उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

17.3 पत्र— 3

सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न—120, परीक्षा अवधि— 2 घंटा

- (क) सामान्य अध्ययन — 30 प्रश्न
- (ख) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान — 40 प्रश्न
- (ग) कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण से संबंधित प्रश्न — 50 प्रश्न

सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी:— पत्र-1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% (तीस प्रतिशत) है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र-2 एवं पत्र-3 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र-2 में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र-3 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

पत्र — 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :—

- (i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न — 20 प्रश्न
- (ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न — 40 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :—

- (i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न — 20 प्रश्न
- (ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न — 40 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र – 2 (क्षेत्रीय भाषा)

उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुडूख (उरांव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

Urdu

1. Prose

- | | | |
|----------------------|---|-----------------------------|
| I. Haj-e-Akbar | - | Premchand (Story) |
| II. Bhola | - | Rajinder Singh Bedi (Story) |
| III. Chhauti ka Joda | - | Asmat Chughtai. |

2. Urdu Poem

- | | | |
|-----------------|---|------------------------------|
| I. Jugnoo | - | Iqbal |
| II. Kaljug | - | Nazeer Akbarbadi |
| III. Mustaqbil | - | Akbar Allahabadi |
| IV. Khak-e-Hind | - | Pandit Brijnarayan Chakbast. |

3. Urdu Grammar

- I. Gender
- II. Singular
- III. Plural
- IV. Meaning
- V. Opposite.

संताली

1. **व्याकरण :-** संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, सजीव-निर्जीव, विशेषण, समान शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बुझोवोल
2. **साहित्य :-**
संताली लोक साहित्य – अर्थ, परिभाषा, भाग-विभाग, संतालों का उद्भव और विकास।
लोकगीत – डाहार, बाहा, सोहराय, काराम, दोड. सेरेज
कहानी– आगिल हापड़ाम कोवा: काथा, सोहराय, कविता, सोपोदान
निबंध– सिदोकन्हू हुल, बाबा तिलका माँझी हुल डिबा किसुन, बिरसा हुल
साहित्यकार– डोमन साहु समीर, भागवत मुरमू ठाकुर, दिगम्बर हाँसदा:, ठाकुर मुरमू ठाकुर, बाबूलाल मुरमू, केवलराम सोरेन, आदित्य मित संताली आदि।

Bangla

(I) Prose, Poetry

(A) Jibansmriti- Rabindranath Thakur (Selected)

Shiksharambha, Ghar O Bahir, Bhritya rajak Tantra,

Kabita Rachanranbha, Shrikantha Babu, Pitri deb.

(B) Poetry (Selected) Madhukari- Kalidas Roy.

- i. Atrimunir Ashrame Shree Ram Chandra- Krittibas.
- ii. Ishwari Patani – Bharatchandra
- iii. Bangabhasa – Madhusudan Dutta
- iv. Nirjharer Swapnobhango – Rabindranath Thakur
- v. Hat- Jatindra Nath Sen Gupta
- vi. Kandari Hunshiar- Najrul Islam
- vii. Atharo Bachhor – Sukanta Bhattacharjee

(C) Grammar :-

Samas, Sandhi, Bagdhara, Vinnarthak Shabdojngal.

(D) Essay – (One)

मुण्डारी (मुण्डा)

1. **व्याकरण** :- संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, सजीव-निर्जीव, विशेषण, समान शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बझौवल
2. **साहित्य** :- मुण्डारी लोक साहित्य- अर्थ, परिभाषा, भाग-विभाग, मुण्डाओं का उद्भव और विकास।
लोकगीत :- बा, करम, सोहराई, अड़ान्दि।
कहानी :- करम कहानी, पशु-पक्षी, जीव जन्तुओं की कथा, पहाड़ों की कथा, देवी देवताओं की कथा, कविता आदि।
निबन्ध :- बिरसा आन्दोलन उलगुलान, गया मुण्डा, चोट्टि मुण्डा, माडा परब, मुण्डाओं की उत्पत्ति।

साहित्यकार :-

1. डॉ० रामदयाल मुण्डा,
2. दुलय चन्द्र मुण्डा,
3. काण्डे मुण्डा

हो

1. हो व्याकरण : संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, लिंग, वचन, पुरुष, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, कहावत, पहेली आदि।
2. साहित्य :-
 - I. पद्य संग्रह
 - II. गद्य संग्रह
 - (i) पद्य साहित्य :- लिटा मसुरि बिर विरड्, मा अरदास, बा अटेडाकन दिसुम बनो, जुलो: चा, एना दो ओकोन दिसुम तोरं।
 - (ii) गद्य साहित्य :- बहरोत, गिंदरू देयोआं, मुनु दोस्तुर अर मागे पोरोव, बा पोरोव एंगा हयम ममरं, कवहारम्बड, नुडहाम, सिंग दिसुम।

खड़िया

1. व्याकरण :- संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, सजीव-निर्जीव, विशेषण, समान शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, बुझावल आदि।
2. साहित्य :-
 - (क) खड़िया लोक साहित्य का उद्भव एवं विकास, अर्थ, परिभाषा, भाग-विभाग, खड़िया जाति।
 - (ख) लोकगीत - जाड.कोर, करम, बन्दोई, जनम पर'ब, कदलेटा, मुरड', कसासिड।
 - (ग) लोक कहानी - कथा कभनेइत
 - (घ) निबंध - शहीद तेलेंगा खड़िया, गोपाल खड़िया, खड़िया महासभा, बंदोई, जाड. कोर, करम, जनम पर'ब।
3. साहित्यकार- 1. प्यारा केरकेट्टा 2. पौलुस कुल्लू 3. जुलियुस बा' 4. डॉ0 रोज केरकेट्टा 5. जोवाकिम डुंगडुंग

कुडूख (उरांव)

1. व्याकरण - संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, पुरुष, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली, काल आदि।
2. साहित्य-गद्य साहित्य-

जतरा अप सेन्दरा - बिरसा भगत
कुडुखर गही नेग अरा धरम - जम्बुआ कुजूर
अंजेला- इग्नेस कुजूर
राय साहब बंदीराम उरांव - अहलाद तिकी।
रुइदास कुडुख बेलस - ए. गिगनाड

टना भगतर – डॉ. फिलिप एक्का

पद्य साहित्य –

जड़ी पेल्लो – दवले कुजूर

जतरा – डब्ल्यू जी० आर्चर

खेड्ड चम्बी –डॉ० निर्मल मिंज

रासी सुकखे गही –दवले कुजूर

अलखा अमके – जस्टिन एक्का

खद्द परिया – पदम् श्री जुवेल लकड़ा

कुडुख लोक साहित्य, लोक गीत, कहानी एवं निबंध

कुरमाली

1. व्याकरण : संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, विशेषण, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, पहेली (बुझौवल)
2. कुरमाली लोक साहित्य : लोक साहित्य का तात्पर्य, परिभाषा, वर्गीकरण एवं महत्व।
3. लोकगीत : डाँइंडधरा गीत (पांतागीत), करमगीत, बिहारगीत, डमकच, ढपगीत।
4. कहानी : सबरनाखा नदीक जन्म, सात भाई एक बहिन, करमा–धरमा, पुइतू बूढ़ा।
5. निबंध : शहीद रघुनाथ महतो, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, सृष्टिधर सिंह देव कटियार, टुसू परब।
6. साहित्यकार : डॉ० नन्द किशोर सिंह, लखीकान्त मुररुवार, केशव चन्द्र टिडुआर।

खोरठा

1. गद्य भाग

2. पद्य भाग

सहायक पुस्तक–खोरठा गद्य–पद्य संग्रह

(क) प्रकाशक–खोरठा साहित्य: साहित्य संस्कृति परिषद् बोकारो

(ख) खोरठा निबन्ध–लेखक– डॉ० बी०एन० ओहदार

(ग) डाह नाटक – सुकुमार

(घ) फरीछ डहर (कहानी संकलन) – लेखक– पंचम महतो

पद्य साहित्य :–

सहायक पुस्तकें :–

(क) एक पथिया डोगल महुआ— लेखक— सन्तोष महतो

(ख) सोंध माटी — डॉ० विनोद कुमार

कविता भाग

(ग) डिडांक डोआनी— लेखक— वंशी लाल वंशी

(घ) तातल और हेमाल— लेखक— शिवनाथ प्रमाणिक

कविता संग्रह

3. खोरठा व्याकरण — लेखक— ए०के० झा

4. निबंध— समसामयिक विषय पर

नागपुरी

1. **व्याकरण** :— वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, धातु, क्रिया, वाक्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द ।

2. **साहित्य** :—

(क) नागपुरी लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, बुझौवल, कहावत, मुहावरे ।

(ख) लोकगीत में— फगुआ, डमकच, अंगनई, मरदानी झूमर, बंगला झूमर, उदासी, पावस, लहसुवा, झुमटा ।

(ग) लोक कथा से — वन हरनी कर बेटा, बुधू भंडारी, भाई—बहिन, बालमइत रानी ।

बनफूल भाग — एक— (नागपुरी गद्य—पद्य संग्रह)— डॉ० कुमारी वांसी ।

पंच परगनिया

1. **पंचपरगनिया व्याकरण** :— संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, लिंग, पुरुष, जीव—निर्जीव, समान शब्द, उल्टा शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बझौवल आदि ।

2. **साहित्य—पंचपरगनिया**, लोक साहित्य, अर्थ, परिभाषा, भाग—विभाग, पंचपरगनिया भाषा का उद्भव एवं विकास ।

3. लोक गीत एवं मध्यकालीन कवियों के गीत — पुसगीत, बिहा गीत, सँहरइ गीत, करम गीत, मंत्र आदि ।

4. लोक कहानी— पँठी रानी, कारला रानी, चालाक बिलाइ, सिआर केर फेउ बुढ़ा मुड़ेना लगाबे, भादा, बुधुवा आदि ।

5. निबंध— गोड़डीह केर वन अंचल, मुण्डाओं का गाँव धरमपुर, गीत—गोविन्द आर बइउकि, आदि ।

6. शिष्ट गीत/कविता—चंचलमन, उदवेग, रोक, दुख आदि ।

7. साहित्यकार—ज्योति लाल माहादानी, दीन बन्धु महतो, चन्द्र मोहन महतो, परमानन्द महतो, करमचन्द्र अहीर ।

उड़िया

1. गद्य विभाग :-

I. स्वाधीन चिन्ता	—	विश्वनाथ कर
II. ओड़िया जाति किए	—	गोपबन्धु दास
III. क्षमा	—	मायाधर मानसिंह
IV. जातीय जीवन ओ संस्कृति	—	गोलक बिहारी धल
V. लेखकर संसार	—	किशोरी चरण दास
VI. मधुसूदन	—	चन्द्रशेखर रथ

सहायक पुस्तक : गद्य धारा (ओड़िशा राज्य पाठ्य पुस्तक प्रणयन संस्था, भुवनेश्वर)

2. पद्य विभाग :-

I. एणु कपोत गुरु मोर	—	जगन्नाथ दास
II. मो जीवन पछे नर्के पडि थाउ	—	भीम भोड़
III. मुँ हाट बाहुड़ा	—	फकीर मोहन सेनापति
IV. उठ कंकाल	—	गोदावरीश मिश्र
V. ग्रामपथ	—	बिनोद चन्द्र नायक
VI. शरत ऋतुर जन्ह	—	गुरु प्रसाद महान्ती

सहायक पुस्तक :- पद्य धारा (ओड़िशा राज्य पाठ्य पुस्तक प्रणयन संस्था, भुवनेश्वर)

3. नाटक :-

I. बक्सी जगबन्धु	—	मनोरंजन दास
II. अभियान	—	कालीचरण पट्टनायक

4. काव्य :-

I. पल्लिशी	—	सच्चि राउतराय
II. चिलिका	—	राधा नाथ राय

5. व्याकरण :-

विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, विभक्ति, अव्यय, क्रिया, संधि, समास, युग्म शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकपदी करण, साधारण अशुद्धि।

पत्र -3 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन:-

इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान

घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसी कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय – वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य-व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना।

(ख) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान:-

झारखण्ड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान-खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि।

(ग) कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण से संबंधित ज्ञान :-

इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

- 18 (i)** विवरणिका की कंडिका 5 के स्तंभ 2 में अंकित पद विशेष की अपेक्षा अनुसार मुख्य परीक्षा उपरान्त अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षण लिया जाएगा। इसमें अपेक्षानुसार अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षण तथा आशुलेखन एवं टंकण की परीक्षा ली जायेगी। इसमें उत्तीर्णता के मानक निम्नवत् रहेंगे :-

क) टंकण जाँच :- अभ्यर्थी को हिन्दी भाषा (Kruti Dev 010 Font) में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए दो प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार को चयन के लिए अयोग्य करार दिया जायेगा।

ख) आशुलेखन एवं टंकण जाँच:- आशुलेखन एवं टंकण जाँच में उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अ.पि.व. अनुसूची-I, पि.व. अनुसूची-II के अभ्यर्थियों को हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी आशुलेखन में

80 शब्द प्रति मिनट की गति होना अनिवार्य होगा। इससे कम गति वाले अभ्यर्थी को आशुलेखन एवं टंकण जाँच में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

- (ii) प्रथम चरण में रिक्तियों के तीन गुणा अभ्यर्थियों की टंकण जाँच/आशुलेखन की परीक्षा ली जायेगी।

19. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

- (i) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका-17.3 की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषयों के प्राप्तांक/Normalised प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा-सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और कौशल जाँच परीक्षण हेतु अल्पसूचीबद्ध किया जाएगा। कौशल जाँच परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों के मेधा-सह-विकल्प (Merit-cum-Option) के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- (ii) मेधा-सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।
- (iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (iv) परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा:-
- | | |
|--|-----------------------|
| (I) अनारक्षित | — 40 (चालीस) प्रतिशत |
| (II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला | — 32 (बत्तीस) प्रतिशत |
| (III) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग —(अनुसूची-1) | — 34 (चाँतीस) प्रतिशत |

- | | | |
|------|--------------------------------|-------------------------------|
| (IV) | पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 | — 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत |
| (V) | आदिम जनजाति | — 30 (तीस) प्रतिशत |
| (VI) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | — 40 (चालीस) प्रतिशत |
- (v) उपर्युक्त उप कंडिकाओं के आधार पर सामान्य मेधा-सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के सापेक्ष आरक्षण कोटि वार चयन सूची गठित होगी।

20. अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन

विवरणिका की कंडिका-19 के आधार पर मेधा-सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् आयोग के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की पात्रता/ अहर्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच की जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी उक्त कोटि की रिक्ति के लिए स्थापित नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों के विरुद्ध मेधासूची में उपलब्धता के आलोक में निचले क्रम के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

21. नियुक्ति:-

- (i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जाँच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) तथा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अधीन होगी।

22. अन्यान्य:-

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होंगे।
2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा:-
- (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
 - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
 - (iii) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण-पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :-
 - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
 - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
 - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :-
- (i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।
 - (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।
 - (iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।
 - (iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
 - (v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।
 - (vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।

- (vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- (viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।
- (ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।
- (x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।
- (xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 (पाँच सौ रुपये) शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
- (xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- (xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भाँति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।
- (xv) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के

परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

- (xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर, Bluetooth आदि अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

- (xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में फोटो/हस्ताक्षर में त्रुटि होने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। अतः अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदन पत्र में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित कर लें।

- (xviii) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ अधिकृत रूप से आयोग के वेबसाईट पर दिया जायेगा।

- (xix) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इन कागजातों की आवश्यकता भविष्य में आ सकती है। प्रमाण पत्रों के जाँच के समय इन्हें अनिवार्यता: जमा करना होगा।

- (xx) आयोग को अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

- (xxi) प्रवेश पत्र (Admit Card) की मूल प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, प्रमाण-पत्रों के जाँच के क्रम में आयोग द्वारा इसकी मांग की जाएगी।

- 22.** माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर WP(S) No. 3894/2021, रमेश हाँसदा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश से इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएँ/नियुक्तियाँ प्रभावित होंगी।

ह./—
परीक्षा नियंत्रक।

परिशिष्ट—(I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 7/जा.नि.—19-11/2008
का.—5682 दिनांक— 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण-पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या—.....

तिथि:—.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला
डाकघर..... थाना जिला राज्य.....
अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/उप जाति
के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में
मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः
गांव/कस्बा....., शहर....., जिला....., राज्य.....में
निवास करते हैं।

स्थान :—

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम

दिनांक :—

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:— जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

- * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

परिशिष्ट-(II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 7/जाति-19-11/2008
का.-10007 दिनांक- 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री ग्राम/शहर
थाना जिला झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं,
जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001*,** की धारा-2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
(अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में
मान्यता प्राप्त समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक- 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग,
भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक- 08.09.
1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।

पदनामकार्यालय

के सील सहित

परिशिष्ट—(III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/जा.नि.-03-13/2015/का.
1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा
अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का फार्म
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में) पता—ग्राम/वार्ड/शहर.
..... पो०.....थाना..... जिला/प्रमंडल.....
..राज्य/संघशासित प्रदेश, झारखण्ड राज्य में यथा अनुसूचित जाति अथवा
अनुसूचित जनजाति के अधीनजाति के सदस्य हैं तथा धर्म को मानने
वाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर
..... जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की
सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी

क) यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की
धारा— 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।

ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:-

i) जिला दण्डाधिकारी/ अपर दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्ता/
प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमंडल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक
समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा
यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिए) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित
जनजातियों के लिए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002
द्वारा गठित झारखण्ड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य
पिछड़ा वर्गों के लिए) के लिए आरक्षण अधिनियम 2001।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

परिशिष्ट—(IV)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/जा.नि.—03-13/2015/का.
1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में)
ग्राम/नगर..... जिला/प्रमंडल.....राज्य/संघशासित प्रदेश
..... जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड रिक्तियों और पदों के लिए आरक्षण
(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े
वर्ग (अनुसूची-I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं तथा ये धर्म को माननेवाले
हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड
राज्य के ग्राम/ नगर जिला/प्रमंडल में
निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय
ज्ञापक 36012/22/93-स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित
तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक- 10.06.2002
द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.1993
के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रमाणित आवेदन तथा उसकी/ उसके माता-पिता द्वारा किये गये घोषणा
के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा। किन्तु
क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वधोषणा पत्र (फार्म संख्या-15) संलग्न करने पर इस प्रमाण
पत्र की वैधता स्वधोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट—(V)

क्रीमीलेयर रहित होने सम्बन्धी स्व-घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जायेगा)

मैं पिता
पति/पत्नी निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर
..... पोस्ट थाना
अंचल जिला राज्य
एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं
समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360112/22/93 स्था. (एस.सी.टी.)/
झारखण्ड राज्य के संकल्प संख्या दिनांक में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/ नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला अंचल के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या दिनांक निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रुपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से सम्बन्धित नहीं हूँ।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व-घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा.द.वि. एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्ता) का हस्ताक्षर

परिशिष्ट—(VI)

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No.

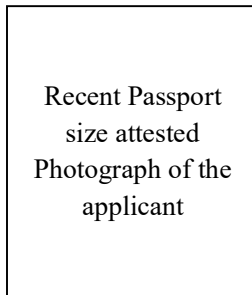
Date

Valid for the Year

This is certify that Shri/Smt./ Kumari son/daughter/wife of permanent resident of village/street post office District in the State/Union Territory Economically Weaker Section, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year His/Her family does not own or possess any of the following assets***.

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari belongs to the caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/ EBC-I/BC-II.



Signature with seal of office

Name

Designation

*Note: 1. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note: 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note: 3. The property held by a "Family" in different places/ cities have been clubbed while applying the land or property holding tests to determine EWS status.

परिशिष्ट—(VII)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/स्थानीयता.
नीति-14-03/2016 का.-4650 दिनांक— 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक— 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)
झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति श्री..... पता-ग्राम/वार्ड/शहर..... पो०..
.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और
यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प
संख्या-3198 दिनांक— 18.04.2016 की कंडिका— में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में
निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य
राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट—(VIII)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 14/स्थानीयता.
नीति-14-03/2016 का.-4650 दिनांक— 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक—19.07.2019 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता/पति श्री.....
..... पता—ग्राम/वार्ड/शहर..... पो०.....
थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या—3198 दिनांक—
18.04.2016 की कंडिका— में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है।
प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय
निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :

दिनांक :

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट—(IX)

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

अनुबन्ध—1

प्रमाण पत्र संख्या.....

तारीख.....

निःशक्तता प्रमाण पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष
द्वारा विधिवत प्रमाणित
उम्मीदवार का हाल का
फोटो जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....आयु.....लिंग.....

पहचान चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी

निःशक्तता से ग्रस्त—

क. गति विषयक (लोकोमीटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

- (i) दोनो टांगे (बी.एल.) — दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
(ii) दोनों बाहें (बी.ए.) — दोनों बाहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बाहें (बी.एल.ए.) — दोनों टांगे और बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ.एल.) — एक टांग प्रभावित (दायां बायां)

- (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ.ए.) एक बांह प्रभावित

- (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी.एच.)— पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एन.डब्ल्यू.) — मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि

- (i) बी.— अंधापन
(ii) पी. बी.— आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- (i) डी.— बधिर
(ii) पी. डी.— आंशिक रूप से बधिर
(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की संभावना है/इसमें सुधार होने की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।.....वर्षों.....महिनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत.....है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती है:-

- | | |
|--|----------|
| (i) एफ – अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ii) पी. पी.- धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iii) एल – उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iv) के. सी.- घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) बी – झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vi) एस – बैठकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vii)एस. टी.- खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (viii)डब्ल्यू – चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ix) एस.ई.- देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (x) एच – सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (xi) आर. डब्ल्यू – पढ़ने ओर लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |

(डॉ०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड।

(डॉ०.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड ।

(डॉ०.....)

अध्यक्ष

चिकित्सा बोर्ड।

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित।
(मुहर सहित)

जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-(X)

झारखण्ड इण्टरमीडिएट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2021

श्रुतलेखक/स्क्राइब की विवरणी:-

1. अभ्यर्थी का नाम.....2. रोल नं०-
3. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत-
4. परीक्षा केन्द्र का नाम 5. परीक्षा कक्ष सं० (इसे खाली छोड़ दें)
6. श्रुतलेखक/स्क्राइब का नाम-
7. श्रुतलेखक/स्क्राइब के पिता/पति का नाम-
8. श्रुतलेखक/स्क्राइब का पता-
9. श्रुतलेखक/स्क्राइब की जन्म तिथि-
10. श्रुतलेखक/स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता :-

परीक्षा या कोर्स का नाम	संकाय	वर्ष	उत्तीर्ण/अध्ययनरत	प्राप्तांक का प्रतिशत	बोर्ड/महाविद्यालय
1	2	3	4	5	6

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि श्रुतलेखक/स्क्राइब श्री/श्रीमती/सुश्री
.....के संबंध में दी गई उपर्युक्त सूचना पूर्णतः सही है।

उक्त घोषणा के गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द कर दी जाय।

श्रुतलेखक/स्क्राइब का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

11. टिप्पणी-

वीक्षक का हस्ताक्षर